

48



दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना - 2021 की समीक्षा
Master Plan Review-2021

OFFICE OF THE DIR (Pig.)
MPR/TC, D.D.A. NO. DELHI-2
Cy.No. 2599
Dated 7/5/12

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

“ओपन हाउस मीट्स”
“OPEN HOUSE MEETS”

Zone I-II

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए Form to be filled by Participant	
नाम Name	NARINDER SINGH BAZAD
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	Individual
वर्तमान स्थिति Present Position	
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	011-2777 011-27721349 9312251874
फैक्स : Fax :	-
ई-मेल E-mail	nmcpolymers@gmail.com
पता : Address :	vill. Hianki, Delhi - 110036
हस्ताक्षर : Signature :	
तिथि : Date :	30/4/12

“अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं
“Submit your registration form at the venue of Open House meets.”

आदरणीय श्री कमल दास
डिरेक्टर प्लानिंग, D.D.A,
ज़ोन P-1 and P-2,
11th Floor विकास मिनर नई दिल्ली
मधुवन चौक पतमपुरा दिल्ली,

विषय: मास्टर प्लान को विवेचना में शामिल होने के लिए प्रार्थना पत्र

श्रीमान जी,
ग्रेड पी-2 ज़ोन का जोनल प्लान पढा है और उसमें निम्नलिखित अनियमितता पाई है जिनपर पूर्णविचार करना कति आवश्यक है।

1 पृष्ठ 5 पर लिखा है कि गांव का बावदी को बंद से रोका जाय। यह ऐसा करना, गांव का बावदी के साथ अन्याय है। पहले गांव को बावदी को इक्वलमेंट की जाय तभी इसपर कोई कानून अर्थात 17.1.2011 को लागू किया जाय।

2 पृष्ठ 6 पर लिखा है इस ज़ोन के उत्तर में हरयारा सीमा के साथ ग्रीन बेल्ट डायरेक्ट विपरीत अक्षरमाझरा गांव की जमीन जो हरयारा के डाँटी कला गांव से लगती है को ग्रीन बेल्ट नही रखा गया है इसके सोरिड वेस्ट प्रोजेक्ट किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट वार्ड से रोक किया जाय।

3 पृष्ठ 8 पर फिर कहा है कि गांव को बावदी पर विडिंग कानून लागू किये जायेंगे। इस विषय में यह कति आवश्यक है कि जब तक गांव को बावदी को इक्वलमेंट प्लान पूरा न हो नये कानून लागू न किये जाय।